न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 67 / 19

1. जुगल सिंह पुत्र श्री बचन सिह जाति राजपूत निवासी चक 7 एस.एस.एम. तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.। ....प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चलकोई हाल चक 7 एस.एस.एम. (ए) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. राजुराम पुत्र श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चलकोई हाल चक 7 एस.एस.एम. (ए) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. आसी देवी पत्नि श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चलकोई हाल चक 7 एस.एस.एम. (ए) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
4. गीता पुत्री श्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चलकोई हाल चक 7 एस.एस.एम. (ए) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
5. स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला। ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. व 151 सीपीसी एवं जनरल कॉलोनी कंडीशन नियम 8(2)

–: निर्णय :– दिनांक :– **24.08.2021**

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है की चक 7 एसएसएम के मुरब्बा नंबर 67 / 29 का किला नंबर 2, 3, 8, 9, 12 कुल 5 बीघा कमांड भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। इस मुरब्बा नंबर कि बाकी जमीन अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता / पति के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा इस मुरब्बे के किला नंबर 4 और 5 में 2 –2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया है कि उक्त जमीन प्रार्थी को small patch के जरिए आंवटन हुई थी। यह आंवटन विधि विरुद्ध था। इस संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर में प्रकरण जैरकार है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर यथास्थिति कायम रखने के आदेश जारी किए गए हैं। स्थगन आदेश के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय को मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।

अदालत का मानना है कि यह दलील सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि जो प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर में जैरकार है उसमें अहम मसला यह है कि क्या विवादित जमीन को small patch के तौर पर आंवटन किया जाना विधि संगत था। जबकि इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा अपने खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहा गया है। दोनों प्रकरणों में विचारणीय बिंदु अलग–अलग है। लेकिन इसके साथ ही इस मामले में एक अन्य पहलू भी है। जिस जमीन के लिए रास्ता चाहा गया है उसके मालिकाना हक / आंवटन की वैधता से संबंधित प्रकरण माननीय राजस्व मंडल में जैरकार है। तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी वर्तमान में मुरब्बा नंबर 67 / 28 के किला नंबर 24 और 25 में से होते हुए अपने खेत तक पहुंचता है।

अदालत के सामने हम प्रश्न यह है क्या ऐसी स्थिति में जब विवादित जमीन तक पहुंचने के लिए अस्थाई रास्ता मौजूद है और उस जमीन के मालिकाना हक से संबंधित प्रकरण राजस्व मंडल में जैरकार है क्या उस जमीन तक पहुंचने के लिए स्थाई रास्ता दर्ज किया जाना उचित होगा।

अदालत द्वारा सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत की यह राय है कि जब तक विवादित जमीन के मालिकाना हक के संबंध में अंतिम फैसला नहीं हो जाता है उस जमीन तक पहुंचने के लिए के लिए स्थाई रास्ता दर्ज किया जाना जायज नहीं होगा। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 14:53:36 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)